

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

जिला-.....राँची....., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-.....62.....सन्-.....2019-20....।

वाद का प्रकार-बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।

अर्जीकार-इन्दु देवी बनाम प्रतिपक्षी-झारखण्ड सरकार अंचल बुण्डू।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित																		
30-09-2020	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी-इन्दु देवी, पति-कन्हैया प्रसाद साहु, सा०-काँची, थाना-बुण्डू, जिला-राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-132 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक-23.07.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;"><u>भूमि विवरणी</u></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><u>मौजा</u></th> <th style="text-align: left;"><u>थाना</u></th> <th style="text-align: left;"><u>थाना सं०</u></th> <th style="text-align: left;"><u>खाता सं०</u></th> <th style="text-align: left;"><u>खेसरा सं०</u></th> <th style="text-align: left;"><u>रकवा</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>काँची</td> <td>बुण्डू</td> <td>12</td> <td>33</td> <td>1380</td> <td>3.5 डीसमील</td> </tr> </tbody> </table> <p>चौहद्दी:-उ०-बाड़ी नित्यानन्द साहु, द०-बाड़ी हिस्सा चमरू साहु वगैरह, पू०-रास्ता, प०-छुट्टु पाहन वगैरह।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-132 R27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण आवेदन ऑनलाईन प्राप्त है, एवं सुनवाई की तिथि को आवेदक भूमि से संबंधित मूल कागजातों के साथ उपस्थित नहीं हुए। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात प्राप्त कर उनकी जाँच-पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>8-20/09 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>8-20/09 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p> </div> </div>	<u>भूमि विवरणी</u>						<u>मौजा</u>	<u>थाना</u>	<u>थाना सं०</u>	<u>खाता सं०</u>	<u>खेसरा सं०</u>	<u>रकवा</u>	काँची	बुण्डू	12	33	1380	3.5 डीसमील	
<u>भूमि विवरणी</u>																				
<u>मौजा</u>	<u>थाना</u>	<u>थाना सं०</u>	<u>खाता सं०</u>	<u>खेसरा सं०</u>	<u>रकवा</u>															
काँची	बुण्डू	12	33	1380	3.5 डीसमील															